प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा०शि०प०/ परिषद-9/ मान्यता/ 162 दिनांकः 31-05-2024

विषयः संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किये जाने सम्बन्धी पोर्टल पर तकनीकि समस्या के दृष्टिगत विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के लिये निर्धारित तिथियों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के संलग्न पत्र संख्याः 599/ पन्द्रह-7-2024 दिनांकः 30 मई, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-3 में निर्धारित तिथियों के क्रम में सत्रः 2024-2025 हेतु मान्यता आवेदन की तिथियों में निम्नवत् संशोधन किया गया हैः-

वर्तमान व्यवस्था	सत्र- 2024-2025 हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।	3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 जून (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 जून से 30 जून तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 30 जून के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः- (1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-31 मई तक (2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जून तक	(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः- (1) 15 जून तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-30 जून तक (2) 30 जून तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जुलाई तक

कृपया शासनादेश के अनुसार यथावांछित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः मा०शि०प०/ परिषद-9/ मान्यता/ 162(1-5) दिनांकः 31-05-2024

उक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक(मा०), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर सचिव, मा०शि०प०, क्षे०का०, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर।

(दिव्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

संख्या–599 / पन्द्रह–7–2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः30 मई, 2024

विषयः–संस्थाओं द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किये जाने संबंधी पोर्टल पर तकनीकी समस्या के दृष्टिगत विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के लिये निर्धारित तिथियों में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–परिषद्–9 / मान्यता / डी0ई0 / 601, दिनांक 07.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विनियमों के अध्याय–सात के विनियम–3 में निर्धारित तिथियों के कम में सत्र 2024–2025 हेतु मान्यता आवेदन की तिथियों में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वर्तमान व्यवस्था	सत्र- 2024-2025 हेतु प्रस्तावित व्यवस्था
3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (विना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।	**3(क)** हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 जून (विना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 जून से 30 जून तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 30 जून के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार	(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार

मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः- (1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-31 मई तक (2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जून तक	मान्यता के आवेदन- पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/ विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः- (1) 15 जून तक प्राप्त आवेदन- पत्रों की सूची-30 जून तक (2) 30 जून तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जुलाई तक

कृपया उक्त के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
23/05/24
(आलोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल हेत।

आज्ञा से,
(संजय कुमार)
अनुसचिव।